

रहसना बुरी बात है।

## छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम-2001

**परिभाषाएँ :-** रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिव्यक्त हो, या किसी विधि पूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना अपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध - प्रतिरोध, या उसे क्षति पहुंचाना, या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी अपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या अपराधिक बल प्रयोग करना।

**रैगिंग का प्रतिरोध :-** किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

**दण्ड :-** यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

**अपराध का संज्ञेय अजमाननीय एवं अप्रशमनीय होना :-** इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमाननीय एवं अप्रशमनीय होगा।

**छात्र के निष्कासन के लिये नियोग्यता :-** (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निरालंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावास में प्रवेश वर्जित करने का अधिकार होगा।

(2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो धारा 4 के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

(3) ऐसे छात्र को जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

**अपराधों का विचारण :-** इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा।



शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला जिला-कबीरपाम (उ.प्र.)

**DON'T RAG,  
JUST INTERACT**



**RAGGING  
IS ANTI-EDUCATION  
IS PUNISHABLE**

Visit UGC website i.e. [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) & [www.anti-ragging.in](http://www.anti-ragging.in) to see UGC Anti-Ragging Regulations

Are you being ragged?  
Immediately call UGC Anti-Ragging Helpline 1800-180-2222 (24x7 Toll Free) Or send an e-mail to [helpline@anti-ragging.in](mailto:helpline@anti-ragging.in)



Join hands to make your campus ragging free

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission  
quality higher education for all

**Anti-Ragging Cell**

शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला जिला-कबीरपाम (उ.प्र.)

**SAY NO TO RAGGING** BEFORE YOU EVEN THINK OF RAGGING



THINK OF

- Humiliation
- Suspension
- Ruined Career
- Blacklisting
- Expulsion
- Possible Prosecution

Don't just stand and watch. Stop Ragging! Show Character

Remember RAGGING is for LOSERS

Visit UGC Website i.e. [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) & [www.anti-ragging.in](http://www.anti-ragging.in) to see UGC Anti-Ragging Regulations  
Are You Being Ragged?  
Immediately call UGC Anti-Ragging Helpline 1800-180-2222 (24x7 Toll Free) Or send an e-mail to [helpline@anti-ragging.in](mailto:helpline@anti-ragging.in)


Ministry of Education  
Government of India

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission  
quality higher education for all

**Anti-Ragging Cell**

शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला जिला-कबीरपाम (उ.प्र.)

**SAY NO TO RAGGING**



**YES TO JOYFUL CAMPUS**

What is Ragging?  
Any Act Resulting in:

- Mental/physical/sexual Abuse
- Verbal Abuse
- Indecent Behaviour
- Criminal Intimidation/Fraudulent Restraint
- Undermining Honour/Dignity
- Financial Exploitation/Extortion
- Use of Force

A STUDENT INVOLVED IN RAGGING CAN BE:

- Suspension of admission
- Suspension from attending classes
- Withdrawing from the University/Institution
- Blacklisting
- Expulsion
- Withdrawing from the Institution
- Blacklisting from attending classes
- Undermining Honour/Dignity
- Financial Exploitation/Extortion
- Use of Force

Immediately call UGC Anti-Ragging Helpline 1800-180-2222 (24x7 Toll Free) Or send an e-mail to [helpline@anti-ragging.in](mailto:helpline@anti-ragging.in)

Ministry of Education  
Government of India

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission  
quality higher education for all

**Anti-Ragging Cell**

शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोड़ला जिला-कबीरपाम (उ.प्र.)

Foolishly I ragged & got suspended

Will I get prosecuted?

What about my Job prospects?



**MY FUTURE IS A BIG ?**



Remember RAGGING is for LOSERS

Visit UGC Website i.e. [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) & [www.anti-ragging.in](http://www.anti-ragging.in) to see UGC Anti-Ragging Regulations  
Are You Being Ragged?  
Immediately call UGC Anti-Ragging Helpline 1800-180-2222 (24x7 Toll Free) Or send an e-mail to [helpline@anti-ragging.in](mailto:helpline@anti-ragging.in)

Ministry of Education  
Government of India

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission  
quality higher education for all

**Anti-Ragging Cell**

सूरदास पटल-1

सूरदास पटल-2



Shot on OnePlus

संनत

नियतोध परीक्षा सार सरल अध्ययन

नी एस.सी. ए. वी.सी. ए. वी.सी. ए. वी.सी. ए.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission